The Status Of Dadupur Nalvi Canal

***71.** **SH. RAM KARAN, M.L.A.**: Will the Chief Minister be pleased to state the status of Dadupur Nalvi Canal togetherwith the details thereof?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement
Starred Assembly Question No. 71

Dadupur Nalvi Irrigation Scheme was conceptualized in the 1985 on the assumption that with the completion of SYL, Haryana's full share in Ravi Beas would be available and it would be possible to irrigate lands of district Yamuna Nagar, Kurukshetra and Ambala, by releasing 590 cusec water throughout the year from river Yamuna into a lined channel taking off from Dadupur. The consequent shortfall in Yamuna waters was to be compensated at Munak Head from surplus Ravi Beas waters which were to be received by the State through Satluj Yamuna Link Canal.

Due to non-completion of Satluj Yamuna Link Canal, in the year 2004, it was decided to keep the entire canal system unlined and to feed it during Kharif period only to serve the purpose of Kharif irrigation and recharging of the water table. After reconsideration of the Scheme during October, 2005, it required a total of 2247.50 acres land including 190.085 acres already acquired in the late Nineteen Eighties.

A total of 830.10225 acres land was acquired for this Scheme from the year 2004 onwards, which was meant for construction of only the main channels namely Shahbad Feeder, Shahbad Distributary and Nalvi Distributary. Rest of the land, nearly 1227.3427 acres, meant for construction of distributaries and minors, could not be acquired due to resistance by land owner farmers since they were not interested to give their land for construction of channels which would bring water only during Kharif period (rainy season), when they did not require the same.

Whereas, due to non-acquisition of more than half of the total project land, the Scheme was rendered totally unfruitful as the area proposed to be irrigated could not be supplied water due to non acquisition of land for distributaries and minors.

Comptroller & Auditor General of India (CAG) in their annual report of year 2011-12 on Social General & Economic Sector (Non Public Sector Undertakings) Report No.3 of the year 2013 raised observation regarding this scheme, stating that the reply of department regarding usefulness of the project was not convincing as the primary objective of project of providing canal irrigation could not be fulfilled and hence the scheme was rendered unfruitful.

Thus, legal opinion of Advocate General, Haryana was taken, who advised that land be de-notified and returned to the land owners. On 27.09.2017, Cabinet approved

that land be de-notified subject to the condition that land owners will return compensation received along with interest.

The land of Dadupur Nalvi Irrigation Scheme measuring 824.71 Acre was de-notified vide Government Notification No. 2/107/2017-I IW dated 03.08.2018 and another 5.39225 acres of land was de-notified vide notification No.2/107/2017-1IW dated 11.12.2018.

The matter was discussed and deliberated in the Cabinet meeting on 25.06.2019 wherein it has been decided to inform the original landowners and their legal heirs about the decision of the Government to return the aforesaid land. The original owners or their legal heirs will return the total amount paid to them excluding solatium, on as is varies basis, alongwith simple interest at the rate of 9% per annum from the date of receipt of original compensation by them.

The Government has also decided to waive even the simple interest for the landowner farmers who do not claim compensation for usage or damages of any kind like usage by Government after acquisition and damages for restoration of land.

As order in this regard also stand issued vide Govt. Notification No. 2/107/2017-1IW dated 01.07.2019 and published in Haryana Government Gazette vide No. 28-2019 Chandigarh, Tuesday, July 9, 2019 (ASADHA 18, 1941 SAKA).

दादूपुर नलवी नहर की स्थिति

*71. **श्री राम करण, एम०एल०ए० :** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि दादूपुर नलवी नहर की क्या स्थिति है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी
विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 71

दादुपुर नलवी सिंचाई योजना की अवधारणा 1985 में इस धारणा पर आधारित थी कि सतलुज यमुना लिंक के पूरा होने के साथ रावी ब्यास में हरियाणा का पूरा हिस्सा उपलब्ध होगा और दादुपुर से निकलने वाले पक्के चैनलों में यमुना नदी से सम्पूर्ण वर्ष 590 क्यूसिक जल छोड़ते हुए, जिला यमुनानगर, कुरूक्षेत्र तथा अम्बाला की भूमि सिंचित की जा सकेगी। यमुना के जल में कमी की क्षतिपूर्ति अतिरिक्त रावी ब्यास जल से मूनक हैड पर की जानी थी जो सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से राज्य द्वारा प्राप्त किया जाना था।

सतलुज यमुना लिंक नहर पूरी न होने के कारण वर्ष 2004 में सम्पूर्ण नहर प्रणाली को कच्चा रखने व खरीफ सिंचाई के प्रयोजन को पूरा करने व जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए केवल खरीफ अवधि के दौरान जल पहुंचाने का निर्णय किया गया था। अक्तूबर, 2005 के दौरान स्कीम के पुनर्विचार के बाद, अस्सी के दशक के आखिर में अधिकृत 190.085 एकड़ भूमि सहित कुल 2247.53 एकड़ भूमि की जरूरत थी।

वर्ष 2004 उपरांत इस स्कीम के लिए कुल 830.10225 एकड़ भूमि अधिकृत की गई थी, जो केवल मुख्य चैनल जैसे कि शाहाबद फीडर, शाहाबद रजवाहे तथा नलवी रजवाहे के निर्माण के लिए थी। बाकी की लगभग 1227.3427 एकड़ भूमि रजवाहों तथा माईनरों के निर्माण के लिए थी, भू–स्वामी किसानों द्वारा विरोध के कारण अधिकृत नहीं की जा सकी क्योंकि वे इन चैनलों के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने के लिए इच्छुक नहीं थे जो केवल खरीफ मौसम (वर्षा ऋतु) के दौरान पानी लाते, जब उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती ।

कुल परियोजना भूमि की आधी से अधिक का अधिग्रहण न होने के कारण योजना पूर्ण रूप से निष्फल हो गई थी क्योंकि सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के लिए रजवाहों तथा माईनरों के लिए भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी ।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी0ए0जी0) ने वर्ष 2011–12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सोशल जनरल एवं इकोनोमिक सैक्टर (गैर सार्वजनिक सैक्टर उपक्रम) पर वर्ष 2013 की रिपोर्ट संख्या 3 में अवलोकन किया, जिसमें कहा गया कि परियोजना की उपयोगिता के बारे में विभाग का उत्तर ठोस नहीं था क्योंकि नहर से सिंचाई प्रदान करने की

परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और इसलिए यह योजना निष्फल प्रतिपादित मानी गई।

इसलिए हरियाणा के महाअधिवक्ता की कानूनी राय ली गई जिन्होंने सूझाव दिया कि भूमि को डिनोटिफाई किया जाए और भूमि मालिकों को वापिस कर दिया जाए। 27.09.2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी कि भूमि को इस शर्त के साथ वापिस किया जाए कि भूमि के मालिकों को जो मुआवजा मिला था वे उसे ब्याज के साथ वापिस करेंगे।

दादूपुर नलवी सिंचाई योजना की 824.71 एकड़ भूमि को सरकारी अधिसूचना संख्या 2/107/2017–1आई0डब्ल्यू0 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा डिनोटिफाई किया गया था और 5.39225 एकड़ भूमि को सरकारी अधिसूचना संख्या 2/107/2017–1आई0डब्ल्यू0 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा डिनोटिफाई किया गया।

दिनांक 25.06.2019 को कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई और विचार–विमर्श किया गया, जिसमें मूल भूस्वामियों और उनके कानूनन उत्तराधिकारियों को उक्त भूमि को वापिस करने के सरकार के निर्णय करने के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया गया। मूल मालिक या उनके कानूनन उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति/सांत्वना राशि (solatium) छोड़कर भुगतान की गई कुल राशि, जैसा कि हर मामले में अलग–अलग है, वापिस करेंगे, जोकि मूल मुआवजे की प्राप्ति की दिनांक से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर के साथ बनता है।

सरकार ने उन भूस्वामियों किसानों के लिए भी साधारण ब्याज माफ करने का फैसला किया है, जो सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद उसके उपयोग या क्षति के लिए मुआवजे का दावा नहीं करते हैं।

इस संबंध में सरकार ने आदेश के रूप में सरकारी अधिसूचना संख्या 2/107/2017–1आई0डब्ल्यू0 दिनांक 01.07.2019 जारी की गई और हरियाणा सरकार के राजपत्र में संख्या नं0 28–2019 चण्डीगढ़, मंगलवार, 09 जूलाई, 2019 (आषाढ़ 18, 1941 साका) को प्रकाशित की गई।